

राजस्थान -सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / स्थायीकरण / कोटा / वी-510 / 2018 / दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग / नर्स-2(सीधी भर्ती-2013) / 2016 / 60 दिनांक 10.02.2016 के द्वारा निम्न का नर्स-2 के पद पर चयन कर दो वर्ष के परीक्षाकाल पर नियुक्तियों प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से स्थाई करते हुये इन्हें परीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथी से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफडी / रूल्स / 2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स-2 के पद की पै मैट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र०स०	नाम कर्मचारी	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण तिथि	परीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02वर्ष पश्चात परीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियत तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	दीपक शर्मा	26.01.80	कोटा	11.02.16	10.02.18	11.02.18
2	इरफान अहमद अंसारी	05.01.82	कोटा	11.02.16	10.02.18	11.02.18
3	बुद्धिप्रकाश चितौडा	09.05.78	कोटा	11.02.16	10.02.18	11.02.18
4	रिजवान अहमद अंसारी	12.05.82	कोटा	11.02.16	10.02.18	11.02.18
5	प्रदीप कुमार नागर	05.09.82	कोटा	11.02.16	10.02.18	11.02.18
6	इन्द्रजीत. कलवार	22.07.76	कोटा	11.02.16	10.02.18	11.02.18
7	राजेन्द्र स्वागी	25.09.78	कोटा	11.02.16	10.02.18	11.02.18
8	योगेश कुमार मीणा	12.03.90	कोटा	11.02.16	10.02.18	11.02.18
9	रागसिंह मीणा	14.12.88	कोटा	11.02.16	10.02.18	11.02.18
10	महेश कुमार वर्मा	28.10.86	कोटा	11.02.16	11.02.18	12.02.18
11	सुरेन्द्र कुमार मीणा	03.07.85	कोटा	11.02.16	10.02.18	11.02.18
12	गजेन्द्र कुमार राधलिया	25.09.74	कोटा	11.02.16	10.02.18	11.02.18
13	मनीष कुमार कराड	07.09.89	कोटा	12.02.16	11.02.18	12.02.18


-sd-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / स्थायीकरण / कोटा / वी-510 / 2018 / 251

दिनांक:-26/02/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,।
2. सम्बन्धित अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।